उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-53/1312/30-3-2014-12जीई/2011
लखनऊ, दिनॉक 07 अगस्त, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-561/दस-62(एम)/2008, दिनॉक 04-05-2010 सपठित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2104/दस-62(एम)/2008टी0सी0, दिनॉक 22-12-2011 के अनुसार दिनॉक 01-01-2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अन्तर्गत 10, 16 व 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर क्रमश: प्रथम, द्वितीय व तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय होगा। यह व्यवस्था दिनॉक 01-12-2008 से प्रभावी की गयी है।

2- वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-561/दस-62(एम)/2008, दिनॉक 04-05-2010 सपठित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2104/दस-62(एम)/2008टी0सी0, दिनॉक 22-12-2011 के प्रस्तर-1(2)(1)(क) में प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि सीधी भर्ती के वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा निरन्तर संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन तथा 16 वर्ष की नियमित सेवा निरन्तर संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय होगा।

उक्त के अतिरिक्त वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2118/दस-62(एम)/2008 (स्पष्टीकरण-3), दिनॉक 22-12-2011 के प्रस्तर-3 में किसी संवर्ग में वरिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति के फलस्वरूप अनुमन्य ग्रेड वेतन, कनिष्ठ कर्मचारी को ए0सी0पी0 की व्यवस्था में प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन से निम्न होने की स्थिति का निराकरण किये जाने हेतु सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को लाभ अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

3- उपरोक्त व्यवस्था एवं नियमों के अन्तर्गत परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनॉक 24-06-2014 में की गयी संस्तुतियों के अनुसार निम्नांकित तालिका में स्तम्भ-2 में उल्लिखित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 में उल्लिखित तिथि से प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100/- व ग्रेड वेतन रू0 7600/- वेतन बैण्ड-4 रू0 37400-

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

67000/- व ग्रेड वेतन रू0 8700/- अनुमन्य कराये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर योगदान की तिथि	सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने का दिनॉक	प्रथम/द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन एवं अनुमन्यता की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री शिवपूजन	10-09-1998	18-09-2008	वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100/- में ग्रेड वेतन रू0 7600/- दिनॉक 01-12-2008 से	--
2	श्री आर0के0 मिश्रा	10-09-1998	18-09-2008	वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100/- में ग्रेड वेतन रू0 7600/- दिनॉक 01-12-2008 से	--
3	श्री अनिल कुमार मिश्रा	10-09-1998	18-09-2008	वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100/- में ग्रेड वेतन रू0 7600/- दिनॉक 01-12-2008 से	--
4	श्री अमृल लाल	10-09-1998	18-09-2008	वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100/- में ग्रेड वेतन रू0 7600/- दिनॉक 01-12-2008 से	--
5	श्री नरेन्द्र राय	21-01-2003	20-01-2013	वेतन बैण्ड-4 रू0 37400-67000/- ग्रेड वेतन रू0 8700/- दिनॉक 20-01-2013 से	--
6	डा0 विक्रम सिंह	21-01-2003	20-01-2013	वेतन बैण्ड-4 रू0 37400-67000/- ग्रेड वेतन रू0 8700/- दिनॉक 20-01-2013 से	--
7	श्री जगदीश सिंह कुशवाहा	25-07-2006	25-07-2016	वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100/- में ग्रेड वेतन रू0 7600/- दिनॉक 01-12-2008 से	वित्त विभाग के शासनादेश दिनॉक 22-12-2011 के प्रस्तर-3 की व्यवस्था के अनुसार श्री जगदीश सिंह कुशवाहा से कनिष्ठ श्री जयशंकर तिवारी को दिनॉक 01-12-2008 से अनुमन्य कराये गये ग्रेड

http://shasanadesh.up.nic.in

					वेतन के आधार पर समकक्षता प्रदान करते हुए ग्रेड वेतन रू0 7600/-
8	श्रीमती इन्दिरा सिंह	20-07-2006	20-07-2016	वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100/- में ग्रेड वेतन रू0 7600/- दिनॉक 01-12-2008 से	वित्त विभाग के शासनादेश दिनॉक 22-12-2011 के प्रस्तर-3 की व्यवस्था के अनुसार श्रीमती इन्दिरा सिंह से कनिष्ठ श्री जयशंकर तिवारी को दिनॉक 01-12-2008 से अनुमन्य कराये गये ग्रेड वेतन के आधार पर समकक्षता प्रदान करते हुए ग्रेड वेतन रू0 7600/-

ह0
कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव।

संख्या-53/1312(1)/30-3-2014, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- सम्बन्धित कार्मिक (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
6- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://srasanadesh.up.nic.in